रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062024-254822
CG-DL-E-20062024-254822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2248]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946
No. 2248]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून , 2024

का.आ. 2368(अ).—इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, सांख्यिकीय संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन पदाभिहित नोडल अधिकारी के साथ परामर्श करते हुए, विश्लेषण, मॉनीटरी, नीति निर्माण और डाटा के प्रकाशन के प्रयोजन से लौह और इस्पात उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों और संघों जैसे सूचनाप्रदाताओं से इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार कीमतों, उत्पादन, संस्थापित क्षमता, माल-सूची, इनपुट की खपत, निर्यात, आयात, विक्रय, लॉजिस्टिक, अवसंरचना तथा लौह और इस्पात उत्पादन अथवा विनिर्माण के किसी भी अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का निदेश देता है और इस संबंध में आवश्यक उपबंध निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति—निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में सांख्यिकी के संग्रहण के उद्देश्य से सांख्यिकी अधिकारी होगा:-

सारणी

सांख्यिकी अधिकारी	पता (ई-मेल सहित)	क्षेत्राधिकार
उप महानिदेशक (सांख्यिकी प्रभाग) वर्तमान में सुश्री स्वप्ना भट्टाचार्य	इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-23063046 ई-मेल आईडी: ddg-steel@gov.in	संपूर्ण भारत

2. सांख्यिकी के संग्रहण में सहायता के लिए अभिकरण - इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त संयंत्र समिति, जो इस्पात निकेतन, 52/1ए, बालीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता 700019 में स्थित है, इस संबंध में लौह और इस्पात उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों और संघों सहित सूचना प्रदाताओं से सांख्यिकी का संग्रहण करने अथवा इसमें सहायता करने अथवा पर्यवेक्षण करने के लिए मुख्य अभिकरण होगा।

3. प्ररूप, विशिष्टियां और अवधि विनिर्दिष्ट करने की शक्ति—सूचना प्रदाता सांख्यिकीय जानकारी की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में और ऐसे अंतराल में प्रस्तुत करेगा जैसा दिनांक 1 जुलाई, 2024 तक सांख्यिकी अधिकारी इस संबंध में विनिर्दिष्ट करेंगे।

4. प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सत्यापन और उपबंधों को लागू करना — (1) सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक सूचनाप्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन, सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगने के लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी एक फोटो पहचान पत्र या एक प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेंगे।

(2) इन निदेशों के संबंध में किसी भी क्रियाकलाप में नियोजित व्यक्ति सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकीय संग्रहण नियम, 2011 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची

1. सांख्यिकी के संग्रहण का विषय और प्रयोजन— आंकड़ों के विश्लेषण, निगरानी, नीति निर्माण और डाटा प्रकाशन के प्रयोजन से भारत सरकार की आवश्यकता के अनुसार इस्पात मंत्रालय लौह और इस्पात उत्पादन या विनिर्माण की कीमत, उत्पादन, संस्थापित क्षमता, मालसूची, इनपुट की खपत, निर्यात, आयात, विक्रय, लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और उनके अन्य आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय पहलुओं से संबधित सांख्यिकी।

2. सांख्यिकी के संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र — सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के उपबंधों के अधीन संपूर्ण भारत में सांख्यिकी को एकत्रित किया जाएगा।

3. आंकड़े एकत्रित करने का तरीका — सांख्यिकी अधिकारी द्वारा सूचना प्रदाता को एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने सहित, सूचना प्रस्तुत करने की तारीख, रूपविधान और वह रीति जिसमें सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, उपदर्शित किया जाएगा।

4. सूचनाप्रदाता की प्रकृति जिनसे आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं — सूचनाप्रदाता किसी कारखाने अथवा स्थापन अथवा प्रबंधन का स्वामी अथवा अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति हैं जिन्हें सांख्यिकी अधिकारी द्वारा आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

5. वह अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी का संग्रहण पूरा किया जा सकता है- सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में प्रत्येक प्रकार की सूचना को प्रस्तुत करने की आवृत्ति और तारीख का उल्लेख किया जाएगा।

6. संदर्भ अवधि — सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट सूचना नियमित आधार पर प्रस्तुत करनी अपेक्षित है जो दैनिक अथवा पाक्षिक अथवा मासिक अथवा त्रैमासिक अथवा वार्षिक आधार पर हो सकती है।

7. एकत्रित की जाने वाली सूचना की प्रकृति — अपेक्षित सूचना लौह और इस्पात उत्पादन अथवा विनिर्माण की कीमतों, उत्पादन, संस्थापित क्षमता, माल सूची, इनपुट की खपत, निर्यात, आयात, विक्रय, लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और उनके कोई अन्य आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित है।

8. सूचना प्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की भाषा — प्रत्येक सूचनाप्रदाता अंग्रेजी में विहित रूपविधान में अथवा सांख्यिकी अधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रूपविधान में सूचना प्रस्तुत करेगा।

9. सूचना प्रदाता की बाध्यता — यथास्थिति किसी कारखाने अथवा स्थापन अथवा प्रबंधन का स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा भारसाधक व्यक्ति, सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित रीति से और तारीख तक सूचना प्रस्तुत करेगा। वह निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेखों को भी प्रस्तुत करेगा तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यथा अपेक्षित मांगी गई सूचना के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देगा।

10. निरीक्षण किए जाने वाले व्यापारिक अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की प्रकृति — किसी इकाई के व्यापारिक अभिलेख अथवा इकाई द्वारा सूचना के समर्थन में प्रस्तुत की गई अन्य किसी दस्तावेज का निरीक्षण सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

11. निरीक्षण की रीति — सांख्यिकी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इन निदेशों के अधीन इकाई के कारबार अभिलेख और अन्य अभिलेखों के आधार पर प्रदान की गई सूचना को सत्यापित कर सकेगा और उस परिसर के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकेगा, जहां संबंधित कारखाने अथवा स्थापन अथवा प्रबंधन के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा भारसाधक व्यक्ति अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे अभिलेख रखे गए हैं।

[फा .सं . एस -19021/2/2017-एसडी-I]

संजय रॉय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2024

S.O. 2368(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Steel in the Government of India, in consultation with the nodal officer designated under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules, hereby directs that the collection of statistics from informants such as producers, traders, exporters, importers and associations of iron and steel on prices, production, installed capacity, inventory, consumption of inputs, exports, imports, sales, logistics, infrastructure and any other economic, social and environmental aspects of iron and steel production or manufacture, for the purposes of analysis, monitoring, formulation of policy and publication of data shall be as per the details mentioned in the Schedule annexed herewith, and in this regard, necessary provisions are as follows, namely:-

1. Appointment of Statistics Officer.—The officer specified in the following Table shall be the Statistics Officer for the purposes of collection of statistics with reference to the aforesaid directions -

TABLE

Statistics Officer	Address (with e-mail)	Jurisdiction
Deputy Director General (Statistics Division) Presently Ms. Swapna Bhattacharya	Ministry of Steel, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110011 Tele-23063046 E-mail ID: ddg-steel@gov.in	Whole of India

2. Agency to aid in collection of statistics.—The Joint Plant Committee constituted by the Ministry of Steel in the Government of India which is located at Ispat Niketan, 52/1A, Ballygunge Circular Road, Kolkata 700019 shall be the primary agency to take or aid in or supervise the collection of statistics from informants including producers, traders, exporters, importers and associations of iron and steel in this regard.

3. Power to specify form, particulars and period.—The informant shall furnish the particulars of statistical information in such form, and within such intervals as the Statistics Officer may specify in this regard.

4. Verification by authorised persons and application of provisions.—(1) The persons authorised by the Statistics Officer shall carry a photo identity card or a letter of authorisation issued by the Statistics Officer, for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records and for seeking clarifications, as may be necessary.

(2) The persons engaged in any activity in respect of these directions shall be governed by the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), and Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE

1. Subject and purpose for collection of statistics.—Statistics relating to prices, production, installed capacity, inventory, consumption of inputs, exports, imports, sales, logistics, infrastructure and any other economic, social, environmental aspects of iron and steel production or manufacturing shall be as per the requirement of the Ministry of Steel in the Government of India for the purposes of analysis, monitoring, policy formulation and publication of data.

2. Geographical area for collection of Statistics.—The statistics would be collected in the whole of India under the provisions of Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009).

3. Method of data collection.—A Notice shall be issued by the Statistics Officer to informants, indicating therein the date by which, format and the manner in which the information is required to be furnished including submission of information in electronic form through a web-portal.

4. Nature of informants from whom data may be collected.—The informants are owners or occupiers or persons-in-charge of a factory or establishment or management who would be issued notice by the Statistics Officer for furnishing the required information.

5. Period during which collection of statistics may be completed.—The frequency and date of submission of each type of information would be mentioned in the notice issued by the Statistics Officer.

6. Reference period. — Information is required to be furnished on a regular basis which may be on daily or fortnightly or monthly or quarterly or annually as specified in the notice issued by the Statistics Officer.

7. Nature of information to be collected.—The information required relates to prices, production, installed capacity, inventory, consumption of inputs, exports, imports, sales, logistics, infrastructure and any other economic, social, environmental aspects of iron and steel production or manufacturing.

8. Language in which information is to be furnished by informants.—Every informant shall furnish information in the prescribed formats in English or as specified by the Statistics Officer.

9. Obligation of informant.—An owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the Statistics Officer. He shall also furnish relevant records for inspection and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him in this behalf.

10. Nature of business records and other document which may be inspected.—Business records of a unit or any other document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or by the person authorised by him.

11. The manner of inspection.—The Statistics Officer or a person authorised by him in this behalf, may verify the information furnished under these directions on the basis of the business records and other records of the unit and seek clarification at the premises where such records are kept from the concerned owner or occupier or a person in-charge of a factory or establishment or management or a person authorised by the management of the unit.

[F. No. S-19021/2/2017-SD-I]

SANJAY ROY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.20 19:07:13 +05'30'